

संदर्भ: पावरग्रिड/उ. क्षे.-3/आर०टी०आई०/30

दिनांक: 04-दिसम्बर-2019

सेवा में,
श्री बच्चू सिंह पुत्र श्री विपति राम
ग्राम - दिगनेर,
ब्लाक - बरेली अहीर,
जिला - आगरा
मो०- 97196 62764

विषय: जन सूचना अधिकार के संबंध में आपके पत्र दिनांक 25.10.2019 के संदर्भ में


महोदय,
आपके द्वारा जन सूचना अधिकार अधिनियम - 2005 के अंतर्गत मांगी गयी जानकारी का पत्र दिनांक 25.10.2019, क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ को आगरा कार्यालय द्वारा दिनांक 22.11.2019 को प्राप्त हुआ है। पत्र में मांगी गयी जानकारी निम्नवत है -

क्रमांक	मांगी गयी जानकारी	दी गयी जानकारी
01.	पावर ग्रिड द्वारा प्रार्थी को क्षतिग्रस्त फसल का मुआवज़ा अभी तक क्यों नहीं दिया गया ?	संलग्न नोटिस की प्रति अस्पष्ट होने के कारण नोटिस संख्या एवं अन्य जानकारी अपठनीय है जिससे सम्बन्धित जानकारी देना संभव नहीं हो पा रहा है।
02.	जो दिनांक 09.06.2018 को फसल को क्षति पहुंचायी गयी	

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी:

श्री संजय गुप्ता
कार्यपालक निदेशक, पावरग्रिड उ० क्षे० - 3
12 राणा प्रताप मार्ग
द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ तल
लखनऊ - 226001

धन्यवाद,

भवदीय,


कैलाश कुमार गुप्ता
वरि० महाप्रबंधक (पी. ई. एस. एम.)
पदांकित-सी. पी. आई. ओ., उ. क्षे. - 3,
पावरग्रिड, लखनऊ